पत्रांक–2ब० / जला०–01–09 / 2015 143 / न०वि०एवंआ०वि०

स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, समस्तीपुर।

पटना, दिनांक–19/3/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत नगर परिषद्, समस्तीपुर क्षेत्रान्तर्गत पेयजलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि ₹1969.96 लाख (उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख छियानवे हजार रु०) मात्र में से अबतक स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹984.98 लाख (नौ करोड़ चौरासी लाख अंठानवे हजार रु०) के पश्चात् तत्काल ₹751.43 लाख (सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में नगर परिषद्, समस्तीपुर क्षेत्रान्तर्गत पाईप जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश सं०– 129, दिनांक– 28.03.2016 द्वारा ₹1969.96 लाख (उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख छियानवे हजार रु०) मात्र की योजना स्वीकृत की गयी। उक्त स्वीकृत राशि में से विभागीय राज्यादेश सं०– 69, दिनांक– 21.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 70, दिनांक– 21.09.2016 द्वारा ₹984.98 लाख (नौ करोड़ चौरासी लाख अंठानवे हजार रू०) स्वीकृत एवं आवंटित की जा चुकी है।

2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद के पत्रांक– 2261, दिनांक– 27.11.2017 द्वारा उक्त आवंटित राशि के पश्चात अवशेष राशि ₹984.98 लाख आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर के पत्रांक– 376, दिनांक– 28.02.2016 द्वारा उक्त आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।

3. वर्णित स्थिति में नगर परिषद्, समस्तीपुर क्षेत्रान्तर्गत पेय जलापूर्ति हेतु मूल प्राक्कलित एवं स्वीकृत राशि ₹1969.96 लाख (उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख छियानवे हजार रु०) मात्र में से अबतक स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹984.98 लाख (नौ करोड़ चौरासी लाख अंठानवे हजार रू०) के पश्चात् विभागीय राज्यादेश

सं०– 142, दिनांक– 19/3/18 के आलोक में तत्काल ₹751.43 लाख (सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत एवं आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर परिषद्, समस्तीपुर	1969.96	984.98	751.43	233.55

अर्थात कुल आवंटित राशि ₹751.43 लाख (सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र।

4. योजना बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार की गयी है, जो इस योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। नगर परिषद्, समस्तीपुर द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जाएगा। O & M की अवधि में योजना का संधारण संवेदक द्वारा किया जाएगा एवं उसके बाद नगर परिषद्, समस्तीपुर द्वारा किया जाएगा।

5. उक्त आवंटित राशि ₹751.43 लाख (सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में संधारित की जाएगी। **तत्पश्चात् चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराया जाएगा।** किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

09.(क) उक्त आवंटित राशि ₹751.43 लाख (सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र में से **₹675.52 लाख (छः करोड़ पचहत्तर लाख बावन हजार रु०) की निकासी** मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–192– नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता–उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, **विपत्र कोड– 48-2215011920101** विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

(ख) उक्त आवंटित राशि ₹751.43 लाख (सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र में से **₹75.91 लाख (पचहत्तर लाख एकानवे हजार रु०) की निकासी** मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –उप शीर्ष 0102– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, **विपत्र कोड– 48-2215017890102** विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

10. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–**

(i) विभागीय पत्रांक– 7567, दिनांक– 24.11.2017 के आलोक में उक्त योजना के अन्तर्गत अच्छादित होने वाले वार्डों के सभी घरों में House Connection का कार्य कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(ii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(iv) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

11. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।

15. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–09/2015 143 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 19/3/18

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब० / जला०–01–09 / 2015 142 / न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 19/3/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत नगर परिषद्, समस्तीपुर क्षेत्रान्तर्गत पेयजलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि ₹1969.96 लाख (उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख छियानवे हजार रु०) मात्र में से अबतक स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹984.98 लाख (नौ करोड़ चौरासी लाख अंठानवे हजार रु०) के पश्चात् तत्काल ₹751.43 लाख (सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में नगर परिषद्, समस्तीपुर क्षेत्रान्तर्गत पाईप जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश सं०– 129, दिनांक– 28.03.2016 द्वारा ₹1969.96 लाख (उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख छियानवे हजार रु०) मात्र की योजना स्वीकृत की गयी। उक्त स्वीकृत राशि में से विभागीय राज्यादेश सं०– 69, दिनांक– 21.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 70, दिनांक– 21.09.2016 द्वारा ₹984.98 लाख (नौ करोड़ चौरासी लाख अंठानवे हजार रू०) स्वीकृत एवं आवंटित की जा चुकी है।

2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद के पत्रांक– 2261, दिनांक– 27.11.2017 द्वारा उक्त आवंटित राशि के पश्चात अवशेष राशि ₹984.98 लाख आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर के पत्रांक– 376, दिनांक– 28.02.2016 द्वारा उक्त आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।

3. वर्णित स्थिति में नगर परिषद्, समस्तीपुर क्षेत्रान्तर्गत पेय जलापूर्ति हेतु मूल प्राक्कलित एवं स्वीकृत राशि ₹1969.96 लाख (उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख छियानवे हजार रु०) मात्र में से अबतक स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹984.98 लाख (नौ करोड़ चौरासी लाख अंठानवे हजार रू०) के पश्चात् तत्काल ₹751.43 लाख

(सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत एवं आवंटित राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, समस्तीपुर	1969.96	984.98	751.43	233.55

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹751.43 लाख (सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. योजना बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार की गयी है, जो इस योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। नगर परिषद्, समस्तीपुर द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जाएगा। O & M की अवधि में योजना का संधारण संवेदक द्वारा किया जाएगा एवं उसके बाद नगर परिषद्, समस्तीपुर द्वारा किया जाएगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹751.43 लाख (सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में संधारित की जाएगी। **तत्पश्चात् चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराया जाएगा।** किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का

उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

09.(क) उक्त स्वीकृत राशि ₹751.43 लाख (सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र में से **₹675.52 लाख (छः करोड़ पचहत्तर लाख बावन हजार रु०) की निकासी** मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–192–नगरपालिकाओं/नगर परिषद्ों को सहायता–उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, **विपत्र कोड– 48-2215011920101** विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

(ख) उक्त स्वीकृत राशि ₹751.43 लाख (सात करोड़ एकावन लाख तेतालीस हजार रु०) मात्र में से **₹75.91 लाख (पचहत्तर लाख एकानवे हजार रु०) की निकासी** मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –उप शीर्ष 0102– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, **विपत्र कोड– 48-2215017890102** विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

10. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–**

(i) विभागीय पत्रांक– 7567, दिनांक– 24.11.2017 के आलोक में उक्त योजना के अन्तर्गत अच्छादित होने वाले वार्डो के सभी घरों में House Connection का कार्य कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(ii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(iv) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

11. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला० 01–09/2015 के पृष्ठ सं०– 37 /टि० पर दिनांक– 19.3.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 38 /टि० पर दिनांक– 19.3.18 को प्राप्त है ।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं कार्यपालक पदधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।

16. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–09/2015 142 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 19/3/18

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.18

सरकार के विशेष सचिव।